संख्या /XII/07/82(10)/2007टी0सी0-2

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभागः देहरादून दिनांक 19 फरवरी 2008

विषयः– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत जनपद चम्पावत हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या N-11019/132/2007-POL-I दिनांक 29–12–2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 7.50 करोड़ के उपयोग हेतु जनपद चम्पावत के लिये वर्ष 2007–08 में रूपये 7.50 करोड़ (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर इस उद्देश्य से बनाये गये एक शीर्ष "जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ",के पक्ष में रखी जायेगी। ऐसा न करने पर बाद की किश्ते जब्त हो जाने तथा इससे पूर्व जारी किश्तों को ऋण मान लिये जाने के दिशा निर्देश है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद चम्पावत की राष्ट्रीय सम विकास वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत चयनित योजनाओं के लिये ही किया जाय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि न किया जाय। इस धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय, स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्वान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में विकास खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के संचालन से पूर्व की स्थिति की बैंचमार्किंग/फोटो सहित विवरण तैयार कराया जायेगा। विकास खण्ड, जिला, राज्य स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन तथा उसके आधार पर कार्य नीति एवं योजना का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजना के अनुश्रवण हेतु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड (NABARD) को नामित किया गया है। अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार नाबार्ड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग, भारत

क्रमशः 2 पर.......

सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा निर्गत आदेश एवं अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

8- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-00 आयोजनागत-092-अन्य कार्यालय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर0एस0पी0वाई0)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

10- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशास0 संख्या- 487(P) दिनांक 11 फरवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या 84/XII/07/82(10)/2007 टी0सी0-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप सलाहकार, योजना आयोग (एम.एस.पी. प्रभाग), भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायूं मण्डल नैनीताल/मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी चम्पावत।
8. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
9. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून/वित्त-1/गार्ड फाईल।
11. विभागीय पत्रावली/समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।

आज्ञा से,

(आर0पी0फुलोरिया)
संयुक्त सचिव।